न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद अधीन धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं. 88/2019

वादी	प्रतिवादीगण
किशनदान पुत्र मोहनदान जाति चारण, निवासी नथानाडा (श्रीबालाजी) तह0 व जिला नागौर	1. भागीरथदान पुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी नथानाडा (श्रीबालाजी)तह0 व जिला नागौर 2. रूकमणीदेवी पत्नी शिवदान जाति चारण निवासी बिकासर तह0 नोखा जिला बीकानेर। 3. तहसीलदार नागौर। 4. उप पंजियक, नागौर।

वकील वादी
श्री जोराराम मेहरा,

वकील प्रतिवादीगण
श्री श्यामकुमार व्यास,
श्री ओमप्रकाश गौड़,

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

::आदेश:: दिनांक :– **04.01.2021**

1. प्रतिवादी सं. 2 रूकमणी देवी के अधिवक्ता श्री श्यामकुमार व्यास ने दिनांक 03.10.19 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया कि :–
   I. यह हैं कि वादी ने उक्त वाद पत्र लिखापढी दिनांक 09.08.2019 के आधार पर घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया हैं।
   II. यह हैं कि किसी भी लिखापढी के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं ना ही लिखापढी के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी घोषित करने का अधिकार हैं। इसके अलावा धारा 188 आरटीएक्ट के तहत वाद केवल खातेदारी ही ला सकता हैं बिना खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश नहीं किया जा सकता।
   III. यह हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों में चूंकि वादी को वाद पेश करने का ही अधिकार नहीं हैं वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं। इस कारण उक्त वाद इसी स्टेज पर निरस्त किए जाने योग्य हैं।
2. वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का दिनांक 03.02.2020 को निम्न जवाब प्रस्तुत किया :–
   I. यह हैं कि आवेदन के पैरा संख्या 1 में वर्णित अनुसार वाद पेश करना सही हैं मौके पर वक्त खरीद से वादी का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया हैं।
   II. यह हैं कि आवेदन का पैरा संख्या 2 जिस तरह से कथन किया गया हैं सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। यह गलत हैं कि किसी भी लिखपढी के आधार पर राजस्थान

सहायक कलक्टर (मु.
नागौर

काश्तकारी अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत कोई प्रावधान नहीं दिए गए हो, यह भी गलत हैं कि लिखापढी के आधार पर खातेदारी घोषित करने का अधिकार नहीं हो। यह भी गलत हैं कि धारा 188 राज0 टि0 एक्ट के तहत वाद केवल खातेदार ही ला सकता हो, यह भी गलत हैं कि बिना खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश नहीं किया जा सकता हों। प्रतिवादी संख्या 2 ने केवल मात्र वादी को नाजायज तंग परेशान करने व वादी द्वारा उनके विरूद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही छल कपट धोखाधड़ी बाबत पुलिस विभाग में दर्ज नहीं करावे इस हेतु वादी पर दबाब बनाने के लिए यह विधि विरूद्ध आवेदन पेश किया गया हैं आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार व कानूनी बिन्दु नहीं हैं जिससे कि वाद विधि द्वारा वर्जित हो। जबकि वास्तविक मालिक मौके पर काबिज व क्रेता होता हैं तथा तथा बेचान करने या बेचान का इकरार/अनुबंध आदि करने के पश्चात बेचानकर्ता के विरूद्ध मौके पर काबिज मालिक के विधिक अधिकारों पर खतरे के बादल मण्डराने लग जाते हैं तो वेसी सुरत में खतौनी में दर्ज खातेदार के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा/अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती हैं जिसमें कोई विधिक बाधा नहीं हैं तथा समय समय पर माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पारित किये हुए हैं। जहां तक दावा राजस्व न्यायालय में पेश करने का प्रश्न हैं, चूंकि विवादित भूमि कृषि भूमि हैं राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज हैं तथा कृषि भूमि के संबंध में विवाद होने पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल ओर केवल राजस्व न्यायालय को ही हैं इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 के ऐसे उजर कतई माने जाने योग्य नहीं हैं। यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि प्रतिवादी संख्या 2 को यदि ऐसी कोई आपति लेनी हैं तो जवाबदावा में ली जा सकती हैं जिसका उसको अधिकार उपलब्ध हैं तथा इस आपति व पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विधिवत तनकियात कायम होकर उस पर साक्ष्य सबूत ली जाकर मेरिट पर निर्णय होना हैं इस स्टेज पर ऐसा आवेदन पोषणीय नहीं हैं।

III. यह हैं कि आवेदन का पैरा संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार हैं। यह गलत हैं कि वाद पेश करने का वादी को अधिकार नहीं हो, यह भी गलत हैं कि वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं हो, इस कारण उक्त वाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य हैं। जबकि आज दिन वादी मौके पर काबिज मालिक हैं तथा प्रतिवादीगण ने आपस में अपराधिक षड़यंत्र रच कर बेची हुई भूमि को दुबारा बेचान हस्तान्तरण का मिथ्या दस्तावेज तैयार किया हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 2 रूकमणी तो गांव नथानाडा श्रीबालाजी में निवास ही नहीं करती हैं बल्कि यहां से बहुत दूर बीकासर तहसील नोखा में निवास करती हैं भूमाफिया लोगों ने उसके नाम से बेनामी हस्तान्तरण विलेख पंजियन करवाया हैं जबकि उससे पहले वादी को बेचान करने का इकरार लिखित मे हो रखा हैं तथा प्रतिफल का आंशिक भुगतान भी हो रखा हैं इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने दूसरा फर्जी बेचाननामा तैयार किया हैं ऐसे में प्रतिवादी संख्या 2 न तो वास्तविक रूप से मालिक हुई न खातेदार हैं न मौके पर उसका कब्जा हैं इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 जो कि कोई खातेदार काबिज मालिक नहीं हैं उसको ऐसा आवेदन

पेश करने का ही अधिकार नहीं है उसकी कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं हैं इस कारण भी आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2009 (1) पृष्ठ 638 से 643, आरआरटी 2014 (1) पृष्ठ 730 से 735 प्रस्तुत कर मेरा ध्यान इंगित करवाया। पत्रावली का अवलोकरन किया, बहस वकुलाय पर मनन किया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया। वादी ने दिनांक 09.08.2019 को लिखा पढी के आधार पर ख.नं. 941/580 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा मौजा नथानाडा (श्रीबालाजी) का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया हैं।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2009 (1) पृष्ठ 638 में यह उल्लेखित हैं कि वादीगणी ने प्रतिवादीगण की भूमि पर खातेदारी होने की घोषणा चाही हैं तथा वाद अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट पर आधारित हैं। एग्रीमेन्ट के आधार पर खातेदारी की घोषणा की क्षेत्राधिकारिता नहीं हैं। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर खातेदारी का दावा नहीं किया जा सकता। वाद के प्रारम्भिक स्तर पर भी वाद खारिज किया जा सकता हैं। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस वाद में चस्पा होती हैं। एग्रीमेन्ट में कब्जा हस्तांरण का उल्लेख नहीं हैं।

अतः वकील प्रतिवादीगण का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण का वाद प्रस्तुत दृष्टान्तों के आधार पर खारिज किया जाता हैं। इसी अनुसार खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक **04.01.2021** को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर